

उप जिला पंचायत
वामनवास (जि. गंगाना)

4 $\frac{3}{20}$

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पत्र उप. बंद
वकील उमय पत्र पर मनन किया गया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया।
गुलाबिक राजस्व रिकार्ड जमा बंदी के
अनुसार विवादित ख. न. 1191/1033 रकबा
0.83 हेक्टर और सामल रमेश 210 राधा क्रिया
शक्ति देवी 10 राधा क्रियन जाति ब्राह्मण
पत्नीवासी रीपलाई सह. वा. न. वा. स. के नाम
राजस्व रिकार्ड में रवातेदारी दर्ज है।
सामल द्वारा ख. न. 1033/1191 रकबा 0.83
हेक्टर के संबंध में कोई राजस्व रिकार्ड
दस्तावेज आदि पेश नहीं किये गये हैं।
जिसके कारण वह अपना ग.प. शा. पत्र
सिद्ध करने में असमर्थ रहा है। जिसके
कारण सामल का शा. पत्र ग.प. खारीज
किये जाने योग्य है।

उत्तर: साथल का पा पत्र 7.2 राजस्व विभाग
सिंह नली करने के कारण खारीज किया जाता
है। घनावली केवल शुमार होकर वाड लकड़ों
दफ्तर दाखिल की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 04-3-2020
की सुबह न्यायालय में सुनाया गया।



जिला कलेक्टर
बामनवास (जिला-सोनी)